संख्या– 18 /XXIV-C-4/2022-01(23)/2021

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषय– राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र में अस्थाई शिक्षकों के सेवायोजन/तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक–5031, दिनांक 16.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में कुल 157 रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए नितान्त अस्थायी शिक्षकों की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– प्रदेश के कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के उच्चीकरण तथा नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के फलस्वरूप विभिन्न विषयों में पद सृजित हुए हैं। उपरोक्तानुसार विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त होने के फलस्वरूप वर्तमान शिक्षण सत्र को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत् छात्रहित/जनहित में अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद के अन्य विद्यालयों में रिक्त पद के सापेक्ष (नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार सेवा योजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों में योग्य अभ्यर्थियों को 11 माह के लिए नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण अथवा मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुबन्ध के आधार पर गेस्ट फैकल्टी/काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत आमंत्रित किया जायेगा।

2–यू0जी0सी0 की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

3–अभ्यर्थियों का चयन सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्तर से विज्ञापन प्रसारित करते हुए किया जायेगा।

4–शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या–412/XXIV-C-4/2021-01(44)/2016, दिनांक 03.09.2021 द्वारा पुनरीक्षित मानदेय रू0 35000/– के आधार पर उक्त नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः........2

5–उक्त पद पर चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों को नियमित पदों के सापेक्ष रखे जाने का कोई भी दावा अस्वीकार्य होगा।

6–उपरोक्तानुसार अस्थाई शिक्षकों (नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत) की तैनाती करते समय कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– (1) /XXIV-C-4/2021-01(23)2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–4/2/XXVI/ XXI/2021, दिनांक 05.01.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
3–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
5–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड **द्वारा**–निदेशक, उच्च शिक्षा।
6–सम्बन्धित कोषाधिकारी **द्वारा**–निदेशक, उच्च शिक्षा।
7–समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8–वित्त अनुभाग–7 एवं कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9–गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।